

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनिरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

एसपीएमसीआईएल/सत./03/09/1466

दिनांक : 30.03.2011

परिपत्र

विषय :- भार तोलक का अंशांकन।


इकाईयों के स्टॉक के वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि भार तोलक का प्रायः आवधिक अंशांकन नहीं किया जाता है। भाप्रमुनिनिलि द्वारा बहुमूल्य धातुओं आदि सहित अनेक कीमती वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, जिसमें भार में छोटी सी चूक व्यापक आर्थिक विविधता करेगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान जब भी अंतर मिलता है, इकाईयां त्रुटियुक्त भार तोलक (तराजू) अथवा उनके अंशांकन न होने की सफाई देती है। भार तोलक को सही/चालू हालत में रखना तथा इसका आवधिक अंशांकन परम आवश्यक है। इकाईयों से अनुरोध है कि इसका पूर्ण गंभीरता के साथ ध्यान रखें।

2. सभी संबंधितों को भार तोलक को सही/चालू हालत में रखने तथा अंशांकन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। सभी संबंधित इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें तथा अनुपालन करें। इकाई प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसकी अनदेखी को सतर्कता दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

3. इस परिपत्र का यथासंभव व्यापक प्रचार किया जाए तथा सभी संबंधितों की जानकारी लाया जाए। इस परिपत्र को इकाई की वेबसाइट पर भी डाल देना चाहिए तथा अनुभागीय सूचना पटल पर भी लगा देना चाहिए।

4. इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी, भाप्रमुनिनिलि के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्त

  
(ए.के.रे)  
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष  
(टकसालें/मुद्रणालय/कागज कारखाना)  
भा.प्र.मु.मु.नि.लि.

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सचिव।
2. निदेशक (तक.)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा.सं)/मुख्य सतर्कता अधिकारी।
3. सभी महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।
4. प्रबंधक (राभा)।
5. सभी सतर्कता अधिकारी (निगम मुख्यालय/इकाईयां)।
6. सूचना पटल।